राज्यपाल सविवालय, उ०प्र० लखनऊ–226027

संस्था है 943 / शेवपण विनास : फारती 65, 2025

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाविपति के अपर गुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।

रोवा में,

कुलसिवव, उत्तर प्रदेश पंडित दीन दयाल उपाच्याय पशु विकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ–अनुसंचान संस्थान, मथुरा (उ.प्र.)

महोदय,

कृपया उत्तर प्रदेश पंडित दीन दयाल उपाच्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ-अनुसंघान संस्थान, मथुरा (उ.प्र.) के कुलपति पद पर नियुक्ति सूँबंधी संलग्न विज्ञापन संख्या : ई-716/2025, दिनांक फरवरी 03, 2025 का अवलोकन करने का कष्ट करें।

तत्कम में कृपया उक्त विज्ञापन को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित कराने का कष्ट करे।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ० सुवीर एम० बोबडे)

अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ०प्र०।

जतार प्रदेश पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ-अनुसंघान संस्थान, मथुरा (उ.प्र.) के कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में सूचना

विज्ञापन संख्या : ई-716/2025

दिनांक : फरवरी 03, 2025

उत्तर प्रदेश पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ-अनुसंधान संस्थान, मथुरा (उ.प्र.), जोकि उत्तर प्रदेश पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ-अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत स्थापित है, के कुलपित की नियुवित, उक्त अधिनियम की धारा-11 के अधीन गठित समिति द्वारा अनुसंशित पैनल में से कुलाधिपित के द्वारा की जानी प्रस्तावित है।

कुलपति का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष की अविध के लिए अथवा अपनी आयु 68 वर्ष पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, के लिए होगा। कुलपित के पद हेतु केवल वही व्यक्ति पात्र होगा जिसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो।

चूंकि कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होता है, इसलिये अभ्यर्थी में उच्च कोटि की क्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता एवं संस्थागत वचनबद्धता होनी चाहिए। अभ्यर्थी को पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान के क्षेत्र में प्रख्यात शिक्षाविद होने के साथ-साथ ढोस प्रशासनिक अनुभव भी होना चाहिए।

विश्वविद्यालय में नियुक्त व कार्यरत वर्तमान कुलपित का कार्यकाल पूर्ण हो जाने एवं उक्त विज्ञापित पद रिक्त होने के पश्चात् ही इस विज्ञापन के माध्यम से नवनियुक्त कुलपित द्वारा कार्यमार ग्रहण किया जा सकेगा।

कुलपति पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थी राजभवन की वेबसाइट "www.upgovernor.gov.in" पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन दिनांक 24.02.2025 (सोमवार) तक केवल ऑनलाइन (Online) प्रेषित कर सकते हैं।

निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश। NOTICE INVITING APPLICATIONS FOR APPOINTMENT OF VICE CHANCELLOR FOR THE UTTAR PRADESH PANDIT DEEN DAYAL UPADHYAYA PASHU CHIKTSA VIGYAN VISHWAVIDYALAYA EVAM GO-ANUSANDHAN SANSTHAN, MATHURA (U.P.)

Advt. No. E-716/2025

Dated: February 03, 2025

It is proposed to appoint the Vice-Chancellor for The Uttar Pradesh Pandit Deen Dayal Upadhyaya Pashu Chiktsa Vigyan Vishwavidyalaya Evam Go-Anusandhan Sansthan, Mathura (U.P.), established under the Uttar Pradesh Pandit Deen Dayal Upadhyaya Pashu Chiktsa Vigyan Vishwavidyalaya Evam Go-Anusandhan Sansthan Act, 2001 by the Chancellor, out of a panel to be recommended by a Committee appointed in terms of Section- 11 of the said Act.

The Vice-Chancellor shall hold office for a term of 03 years from the date on which he enters upon his/her office or till he/she attains the age of 68 years whichever is earlier. Only such person shall be eligible for appointment to the office of Vice Chancellor who has not attained the age of 65 years.

As the Vice Chancellor is the Principal Executive and Academic Officer of the University, he/she should have highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment. He/She is required to have sound administrative acumen besides being a distinguished person in the field of Veterinary and Animal Sciences.

The newly appointed Vice Chancellor can take charge through this advertisement only after the tenure of the present Vice Chancellor appointed and working in the University is completed and the said advertised post becomes vacant.

The applicant for the post of Vice-Chancellor may send his/her application Online only in prescribed format available on the website "www.upgovernor.gov.in" on or before 24.02.2025 (Monday).

Any application received after the prescribed date shall not be considered.

Additional Chief Secretary to the Governor, Uttar Pradesh.